

Date 28/10/20

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POL.SC.

PAPER: IIIrd

CH: 11

LECTURE NO. - 18

By,

OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL.SC.
D.B.COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

मुख्यमंत्री की पद विमुक्ति

सामान्यतया मुख्यमंत्री

अपने पद पर तब तक बना रहता है, जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अतः जैसे ही उसका विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है, यदि वह त्याग-पत्र नहीं देता है, तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री को निम्नलिखित परिस्थितियों में भी बर्खास्त किया जा सकता है -

(i) यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के विधानसभा का आर्थिक वृत्तान्त तथा उसमें बहुमत विद्ध करने के लिए कड़े और यदि राज्यपाल द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मुख्यमंत्री विधानसभा का आर्थिक वृत्तान्त वृत्तान्त के लिए तैयार न करे, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।

(ii) यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसूची नहीं चलाया जा रहा है या राष्ट्रपति को

Date ___/___/___

अन्य ~~स्रोतों~~ से समाधान हो जाय कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन चलाने का निर्देश राज्यपाल को दे सकता है।

(iii) जब मुख्यमंत्री के विरुद्ध राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाय और मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने से इंकार कर दे, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी मुख्यमंत्री जब चाहे राज्यपाल को अपना त्याग-पत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है।

संभावित प्रश्न :

(i) मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है ?

(ii) किन-किन स्थितियों में मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है ?